डॉ० अम्बेडकर के शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता

डॉ॰ शंकर जी*

डॉ० बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। उनका पैतृक स्थान रत्नागिरी जिले के मंडणगड तहसील में एक छोटा–सा ग्राम आंबवडे है। उनका जन्म महाराष्ट्र में अपनी वीरता, पराक्रम और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध प्रभावशाली, अस्पृश्य कहलाई जाने वाली चमार जाति में हुआ था। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को इन्दौर के महू छावनी में हुआ था। उनकी माता का नाम भीगा बाई और पिता का नाम रामजी वल्द मालोजी सकपाल था। भीमराव के दादा मालोजी सेना में हवलदार के ओहदे तक पहुँचे थे। पिता व माता के नाम को मिलाकर उनका नाम भीम राव रामजी अम्बेडकर पड़ा। डॉ० अम्बेडकर के पूर्वज मध्य भारत के अम्बेडकर नामक स्थान के निवासी थी। इसीलिए पूर्वजों की मातृभूमि के नाम पर भीमराव का पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर पड़ा। डॉ० अम्बेडकर के पूर्वज मध्य भारत के अम्बेडकर लाडवन जाति से संबंधित थे। महार जाति प्राचीन भारत की नाम जाति की वंशज मानी जाती है। महाभारत और पुराणों की कथाओं से यह प्रमाण मिलता है कि प्राचीन काल में महाराष्ट्र में नाम वंश के लोगों का राज्य था। अंग्रेजों की सेना में महार नाम की एक रेजीमेन्ट थी। जिसके सूबेदार मेजर एक महार थे। ईस्ट इण्डिया कम्पनी में भी महार नाम की एक पलटन थी जिसमें डॉ० अम्बेडकर के दादा जी सूबेदार थे, जिन्हें कई लड़ाईयों में अपनी बहादुरी और सफलता के कारण 19 पदक प्राप्त हुए। डॉ० अम्बेडकर के पिता भी फौजी अफसर थे। पूना के फौजी स्कूल में मास्टर का डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद वह एक सैनिक स्कूल में 14 साल तक हेड मास्टर के पद पर कार्यरत रहे।

डॉ० अम्बेडकर के पिता रामजी राव विद्या प्रेमी और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। पहले वे रामानन्दी वैष्णव थे, बाद में वे कबीर पंथी हो गए थे। उनका परिवार शिक्षित और धार्मिक प्रवृत्ति का था। घर में रोज सुबह सत्संग होते रहते थे। रामजी राव का विवाह सूबेदार मेजर भुखड़कर की कन्या भीमाबाई के साथ हुआ था। भीमा बाई यद्यपि बड़े घराने की लड़की थी, जबकि रामजी राव की स्थिति साधारण थी। किन्तु उन्होंने अपने आप को ससुराल के वातावरण के अनुरूप ढ़ाल लिया था। सूबेदार रामजी राव की कुल 14 संतानें हुई जिनमें तीन पुत्र और शेष कन्याएँ थी। इन 14 संतानों में से 9 परलोकवासी हो गए। बाबा साहेब डॉ० भीम राव अम्बेडकर अपने पिता की 14वीं और अन्तिम संतान थे।

एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग वैशाली महिला कॉलेज, हाजीपुर (वैशाली), बिहार

भीमराव जिस समय पैदा हुए थे उस समय उनके पिता सेना में सूबेदार थे। सन् 1894 में सेना में नौकरी की अवधि पूरी हो जाने के कारण वह सेवानिवृत्त हो गए और उन्हें 50 रुपये मासिक पेंशन मिलने लगी। तब वे दापोली गाँव चले गए और वहीं रहने लगे। सन् 1896 में वह सपरिवार सतारा चले गए और एक प्राईवेट नौकरी कर ली। किन्तु भीमराव का शैशवकाल दापोली में ही बिता। सूबेदार रामजी राव भीमराव को खूब पढ़ाना लिखना चाहते थे। लेकिन उस समय एक शूद्र बालक के लिए शिक्षा के दरवाजे पूर्णतः बन्द थे। एक अंग्रेज सैनिक अफसर की मदद से भीमराव को सतारा के एक स्कूल में भर्त्ती कराया गया। जहाँ क्रूर, बर्बर अमानवीय और तिरस्कार की शुरूआत भीमराव के साथ स्कूल में प्रवेश लेते ही हो गई थी।

हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हर पहलू से अलग है। जैसे–शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, विचारों, रूची आदि में। हर आदमी का अपना दर्शन होता है। अलग जीने का ढ़ंग होता है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति की जांच की जाती है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा शिक्षित होता है उसे समाज में उतना ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। डॉ० अम्बेडकर एक महान् शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि किसी भी देश का लोकतंत्र शिक्षा के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। शिक्षा के द्वारा सभी समस्याओं का हल किया जाता है।

डॉ० अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा वह है जो मनुष्यों को निडर बनाती है। एकता सिखाती है, उसकों अपने जन्म सिद्ध अधिकारों को समझने के योग्य बनाती है। यह स्वतंत्रता के लिए संघर्ष व लड़ना सिखाती है। डॉ० अम्बेडकर के अनुसार वह शिक्षा ही नहीं जो योग्य नहीं बनाती हो, न ही समानता व नैतिकता सिखाती हो, बल्कि सच्ची शिक्षा वह है जो मानवता की इच्छाओं की सुरक्षा करती है, और जो समाज में रोटी, ज्ञान व समानता देती है। उनका विचार था कि – शिक्षा एक ऐसी अनिवार्य वस्तु है जो अनिवार्यता के साथ ही सभी को आसानी के साथ मिलनी चाहिए। यह इतनी सस्ती होनी चाहिए कि समाज का गरीब से गरीब वर्ग भी इसे प्राप्त कर सके।

डॉ० अम्बेडकर ने बताया कि शिक्षा वही है, जो इन सारी तथ्यों को पूरा करता हों:– समाज में समानता, जीने के लिए रोटी, ज्ञान का विकास आदि। अम्बेडकर ने शिक्षा के इन उद्देश्यों पर जोर दिया जो इस प्रकार है :–

1. व्यक्ति में निडरता के गुणों का विकास करना।
2. एकता की भावना का विकास करना।
3. व्यक्ति को उसके अधिकारों और कर्त्तव्यों का ज्ञान करना।
4. व्यक्ति को जीविका कमाने के योग्य बनाना।
5. समानता की भावना का विकास करना।
6. आत्म अनुशासन का विकास करना।
7. व्यक्ति को अपने विचारों, भावों को प्रकट करने योग्य बनाना।
8. देशभक्ति की भावना का विकास करना।
9. राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना।
10. बच्चों में सृजनात्मकता की भावना का विकास करना।
11. व्यक्ति को अपने हित और सारे राष्ट्र के लाभ के लिए कार्य करना।
12. विद्यार्थी में समाज सेवा की भावना का विकास करना।

डॉ० अम्बेडकर के अनुसार पाठ्यक्रम में केवल शिक्षण अधिगम सुविधाएँ ही नहीं प्रदान करनी चाहिए बल्कि इसमें चरित्र, व्यवहार, संगठन, अनुभव, आत्म–अनुभूति तथा आत्म– अभिव्यक्ति की शिक्षा भी देनी चाहिए। पाठ्यक्रम की प्रकृति ऐसी तैयार करनी चाहिए कि यह विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता पैदा कर सके। विद्यार्थी को दी जानेवाली रोटी कपड़ा व मकान की शिक्षा, भगवान की शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए। डॉ० अम्बेडकर व्यावसायिक शिक्षा को अधिक महत्व देते हैं। वे एक राष्ट्रीय भाषा के पक्ष में थे। राष्ट्रीय भाषा का विचार समाज में एकता व समानता स्थापित करता है। डॉ० अम्बेडकर ने यहां तक कहा कि एक भारतीय जो हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार नहीं करता, उसे भारतीय नहीं पुकारा जाना चाहिए।

शिक्षण विधि के संबंध में डॉ० अम्बेडकर प्रगतिवादी शिक्षा दर्शन के पक्षधर थे। अम्बेडकर जी अपनी पुस्तकों में जॉन डी. वी. के शैक्षिक विचारों से प्रभावित हुए। कक्षा में पढ़ाते हुए वे जॉन डी. वी. की विधि अपनाते थे। डॉ० अम्बेडकर के शैक्षिक विचार वस्तुतः आदर्शवादी, प्रकृतिवादी व प्रगतिवदी तीनो ही विचार धाराओं का मिश्रण है। उनकी पढ़ाने की विधि बहुत ही प्रभावी थी। सिंघनम

महाविद्यालय के छात्र उन्हें अछूत जाति का जानकर कक्षा में कोई रूची नहीं लेते थे। बाद में जैसे ही उनकी पढ़ाने की विधि की प्रशंसा होने लगी तो बहुत से छात्र अन्य महाविद्यालयों से भी उनकी कक्षा में आने लगे। डॉ० अम्बेडकर लिखित परीक्षा से ज्यादा महत्व मौखिक परीक्षा को दिया था।

डॉ० अम्बेडकर शिक्षक और शिष्य दोनों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने पुस्तक 'बुद्ध और उसका धाम' में शिक्षक एवं शिष्य के बीच संबंधों की स्थापना की है। जब डॉ० अम्बेडकर राजकीय लॉ कॉलेज बम्बई में एक अध्यापक व प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहे थे, तो आदर्शवाद के अनुसार उन्होंने स्वयं को आदर्श शिक्षक के रूप में बनाए रखा। उनका विचार था कि जाति–पाति में विश्वास रखने वाले शिक्षकों को शिक्षा जैसा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण काम नहीं सौंपना चाहिए। 2 अक्टूबर 1926 को 'अछूत छात्र सभा' को सम्बोधित करते हुए डॉ० अम्बेडकर ने कहा 'उन्हें सामाजिक कल्याण के लिए बड़े ध्यान से काम करना चाहिए क्योंकि समाज का भविष्य उन पर निर्भर करता है।' उनके काम की प्रशंसास्वरूप महाविद्यालय की मासिक पत्रिका में लिखा गया था– 'डॉ० अम्बेडकर के काम और ज्ञान के प्रति छात्र उनका सम्मान करते हैं।' बम्बई विद्यापीठ में कानून के सुधार के लिए प्रस्तुत बिल के ऊपर वादविवाद में भाग लेते हुए उन्होंने कहा था कि विद्यार्थियों तथा महाविद्यालयों दोनों को एक दूसरे के सहयोगी बनना चाहिए। उन्होंने अपने भाषण में एक–दूसरे का सहयोगी होने पर ज्यादा बल दिया।

उन्होंने स्त्री शिक्षा पर भी जोर देते हुए कहा कि भारतीय समाज की परम्पराओं व जीवन मूल्यों की जो मनु द्वारा निर्धारित किये गए थे कि आलोचना की क्योंकि इन जीवन मूल्यों में स्त्री शिक्षा को नकारा गया है। डॉ० अम्बेडकर का कहना था कि जब तक समाज में स्त्री व पुरूष को समान रूप से शिक्षा नहीं दी जाती तब तक समानता की बात करना भी निरर्थक साबित होता रहेगा। डॉ० अम्बेडकर ने विदेशों में लड़कियों को शिक्षित होकर आत्मनिर्भर देखा तो वे बड़े प्रभावित हुए, परन्तु वे भारत में पश्चिमी प्रभाव को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। वे तो लड़कियों को अनिवार्य शिक्षा देने के पक्ष में थे। इसके लिए सन् 1848 में ज्योतिबा फूले ने सबसे पहले कदम उठाए थे, जब उन्होंने महिलाओं व दलितों के लिए अलग स्कूल खोले थे। डॉ० साहब ने इसी कड़ी को आगे बढ़ाया और संविधान में महिलाओं को समान अधिकार देकर उनके विकास में योगदान दिया।

डॉ० अम्बेडकर के अनुसार हम अपने समाज का विकास प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा कर सकते हैं। प्रौढ़ों को स्वास्थ्य, राजनीति, समाज, आर्थिक, शिक्षा से अवगत कराया जा सकता है। क्योंकि वे अपनी उम्र में स्कूल नहीं जा पाये। उन्हें शिक्षित

करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा का सहारा लिया जा सकता है। जिसके द्वारा समाज में व्याप्त बुराईयों से जन–जन को अवगत करा के उनको खत्म किया जा सके।

डॉ० अम्बेडकर ने प्राथमिक शिक्षा पर बहुत जोर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि प्राथमिक शिक्षा उच्च शिक्षा की कुंजी है। उन्होंने भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष तक कि आयु वाले बालक को प्राथमिक शिक्षा मुफ्त देने की बात कही।

उच्च शिक्षा पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के ज्ञान से शोध करने की क्षमता को बल मिलता है। व्यक्ति की सोच मजबूत होती है। उनमें तर्क करने की शक्ति का जन्म होता है। विकास के कार्यों को करने के लिए मन लगता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने से व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है। उच्च शिक्षा के द्वारा ही नई खोज की ओर ध्यान लगा सकते हैं। समाज के सभी व्यक्तियों को उच्च शिक्षा में कदम रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पढ़ लिख कर समाज कल्याण के बारे में सोचना चाहिए।

शिक्षा का ढांचा अर्थपूर्ण होना चहिए। कम शिक्षा प्राप्त करके धन कमाने के योग्य बन सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इस प्रकार डॉ० साहब ने व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया। दलित समाज के पास न के बराबर साधन होने के कारण जीवन चक्र बिगड़ता रहता है।इस प्रकार उनमें धन का अभाव पाया जाता है। यदि धन का अभाव दूर करना है तो शिक्षा का व्यावसायिकरण करना होगा, ताकि 10वीं–12वीं पास व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके।

प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हरबर्ट की भांति अम्बेडकर जी का विश्वास था कि शिक्षा के उद्देश्यों में नैतिक शिक्षा तथा चरित्र निर्माण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आदर्श समाज की स्थापना के लिए नैतिक शिक्षा जरूरी है। नैतिक शिक्षा व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीवन मूल्यों व जीवन सिद्धांतों को भटकने से रोकने के लिए नैतिक शिक्षा जरूरी है।

वे अनुशासन में अटूट विश्वास रखते थे लेकिन वे छात्रों की आजादी को कड़े नियमों के द्वारा प्रतिबन्धित करने के पक्ष में भी नहीं थे। वे शारीरिक दण्ड के खिलाफ थे। उनका मानना था कि छात्रों को प्यार के द्वारा ही अनुशासन में रखा जा सकता है। अनुशासन जीवन की महत्वपूर्ण पूंजी है। इसको बलपूर्वक थोपा नहीं जा सकता। डॉ. साहब खुद अपने अध्यापक जॉन डी. वी. और एडविन केनन से प्रभावित थे और उनके जीवन मूल्यों को आदर्श मानकर धारण किया और सफल हुए। अतः विद्यार्थियों के अनुशासन की भावना के लिए अध्यापक को भी अनुशासन में रहना चाहिए और उनके आदर्श बनने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार उन्होंने दमनात्मक आदर्श अनुशासन की जगह प्रभावात्मक व मुक्त्यात्मक अनुशासन का समर्थन किया था।

डॉ० अम्बेडकर का मानना था कि सारी समस्याओं की जड़ अशिक्षा ही है। ऐसी स्थिति में समस्या का समाधान उस समय तक नहीं हो सकेगा जब तक कि लोगों की शिक्षित नहीं किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की वकालत की। उनका मानना था कि शिक्षा को उस स्तर तक अनिवार्य एवं निःशुल्क होना चाहिए जिस स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद लोग स्वतंत्र रूप से चिन्तन, मनन कर सकें, अपने अधिकारों व कर्त्तव्यों एवं सबसे बढ़कर मानवीय मूल्यों को न केवल आत्मसात कर सकें बल्कि उसका सम्मान भी कर सकें। उन्होंने प्रजातंत्र की सफलता हेतु शिक्षा को अतिआवश्यक बतलाया। शिक्षा के द्वारा ही समाज के लोग समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की समस्याओं यथा दास–स्वामी, शोषक–शोषित, अन्धविश्वास, भेदभाव, बेकारी, बीमारी, भय, भ्रष्टाचार, कमिचार, अकर्मव्यता जैसी अनेक समस्याओं का समाधान हो सकेगा। तभी एक उत्तम समाज की कल्पना को मूर्त रूप दिया जा सकेगा।

डॉ० अम्बेडकर हमेशा ही दलितों की शिक्षा के पिछड़ेपन के प्रति जागरूक थे। 1924 में उन्होंने दलितों की शिक्षा के लिए 'बहिष्कृत हितकारीणी सभा' की स्थापना की। इसका उद्देश्य दलितों की शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज, छात्रावास तथा पुस्तकालय खोलना था। उनकी आर्थिक दशा ठीक करने के लिए औद्योगिक तथा कृषि विद्यालय खोले। डॉ० अम्बेडकर का विचार था कि अगर ज्यादा शिक्षा प्रचार होगा तो उन्नति के ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे और लोगों की भलाई के लिए ज्यादा अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने जून, 1928 में दो छात्रावास आरम्भ किए और दलितों की विद्यालयी शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से 'दलित वर्ग शिक्षा सभा' की स्थापना की। उन्होंने इसके लिए चन्दा इक्ट्ठा करना पड़ता था। एक स्थायी सदस्य जिससे अम्बेडकर छात्रावास के लिए सहायता लेने की इच्छा करते थे, लिखते हैं – 'दलितों का उन्नयन देश के सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों के लक्ष्य से पहचाना जाएगा।'

डॉ० अम्बेडकर ने सन् 1945 ई० में 'जन शिक्षा सभा' की स्थापना की। 1946 में उन्होंने बम्बई में सिद्धार्थ महाविद्यालय आरम्भ किया। एक अलग कॉलेज सिद्धार्थ कॉलेज फॉर आर्टस, साईंस, कॉमर्स एण्ड लॉ' की भी स्थापना की।

डॉ० अम्बेडकर ने दलितों की बुरी दशा के लिए शिक्षा को उत्तरदायी माना। जहाँ शिक्षा, अधिकार, कर्त्तव्य, संगठन तथा आत्म सम्मान की भावना को उत्पन्न करती हैं, वहाँ पर भी आवश्यक है कि इसे एकता की भावना को भी उत्पन्न करना चाहिए। अनिवार्य शिक्षा के कारण वे नौकरियाँ प्राप्त करने के योग्य हो जाऐंगे। इस प्रकार उनका आर्थिक स्तर ऊँचा उठेगा, समाज में उन्हें सम्मान

मिलेगा और इससे छुआछुत और भेद–भाव भी अपने आप समाप्त हो जाएगा। अम्बेडकर का विचार था कि प्रत्येक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। विभिन्न वर्णों के बीच की खाई को खत्म करने के लिए, जो कि शिक्षा की कमी के कारण है। शिक्षा मुक्त एवं अनिवार्य होनी चाहिए। राज्यों के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों सार्वभौम और अनिवार्य होनी चाहिए।

वर्त्तमान समय में आज की शिक्षा का स्तर दिन–प्रतिदिन गिरता जा रहा है और यह आशा की जाती है विनाश से बचने के लिए आज की शिक्षा में परिवर्तन करना होगा। आज सर्वत्र व्याप्त भ्रष्टाचार, सत्ता–संघर्ष, पागलपन, हिंसा का नग्न तांडव, मानव जाति के महत्व को प्रतिपल क्षीण करता जा रहा है। डॉ० अम्बेडकर के विचारों पर आधारित उनके उद्देश्य के अनुसार चलना चाहिए जिससे मानव कल्याण हो। डॉ० अम्बेडकर जी के शैक्षिक विचारों के द्वारा ही उपरोक्त समस्याओं का समाधान हो सकता है। अतः उनके विचारों पर चलना चाहिए जिससे सम्पूर्ण मानव समाज का विकास हो सके।

शिक्षा के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, ''शिक्षा एक दुधारी तलवार की तरह है। जो व्यक्ति चरित्रहीन और विनयरहित है, वह शिक्षित होते हुए भी एक पशु से भी अधिक भयावह है। मेरी धार्मिक भावनाओं के कारण ही मुझमें गुणों का विकास हुआ है।'' उन्होंने विद्यार्थियों को राजनीति से दूर रहने को कहा ताकि उनकी शिक्षा का स्तर नीचे न गिरे और उनकी पढ़ाई का नुकसान न हो। उनके अनुसार विद्यार्थी का मूल्य निर्धारण इस बात पर होना चाहिए कि वो कक्षा में क्या सीख रहा है। लिखित परीक्षा में मौखिक परीक्षा का अधिक महत्व देना चाहिए। उनका तीन सूत्रीय संदेश था, ''शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।'' अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि डॉ॰ अम्बेडकर के शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता आज और भी आवश्यक हो गई है।

संदर्भ सूची :

1. डॉ॰ दत्त, महेश्वर–गाँधी, अम्बेडकर और दलित, राधा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली
2. किशोर पंकज–डॉ॰ भीम राव अम्बेडकर, साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली
3. रणसुने, सूर्य नारायण–पत्रकारिता के युग निर्माता भीम राव अम्बेडकर, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2010
4. दास, भगवान–डॉ॰ अम्बेडकर के विचार

5. कीर, धनंजय–डॉ॰ अम्बेडकर जीवन और मिशन
6. सांपला, बी॰ आर॰–युगपुरूष डॉ॰ अम्बेडकर
7. जायसवाल, डॉ॰ सीताराम–शिक्षा–सिद्धांत
8. जाटव, डॉ॰ डी॰ आर॰–डॉ॰ अम्बेडकर का समाजदर्शन।

—::—